चलती गाड़ी बनी आग का गोला ड्रायवर ने कूदकर बचाई जान

- रतलाम-इंदौर फोरलेन पर लोडिंग वाहन में भीषण आग
- ड्रायवर की सूझबूझ से बची जान

नवभारत न्यूज

रतलाम। रतलाम-इंदौर फोरलेन पर बुधवार तड़के एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया, जब चलती लोडिंग गाड़ी में अचानक आग लग गई। वाहन में शादी समारोह का टेंट सामान भरा हुआ था, जो देखते ही देखते धू-धू कर जलने लगा। ड्रायवर की सतर्कता के चलते वह समय रहते कूदकर बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई।

जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब 4 बजे की है। लोडिंग वाहन रतलाम से गांव धराड़ की ओर टेंट सामग्री लेकर जा रहा था। रतलाम सीमा पार करते ही महू-नीमच फोरलेन किनारे स्थित चौपाल सागर के पास अचानक वाहन से धुआं उठने लगा। स्थिति को भांपते हुए ड्रायवर ने तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोका और बिना देर किए कूदकर अपनी जान बचाई। ड्रायवर के उतरते ही कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। लोडिंग में रखा पूरा टेंट सामान जलकर खाक हो गया और आग ने वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही सालाखेड़ी चौकी पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस दौरान करीब आधे से पौन घंटे तक फोरलेन पर यातायात प्रभावित रहा और वाहनों को रोकना पड़ा। सालाखेड़ी चौकी प्रभारी जगदीशचंद्र यादव ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोडिंग वाहन और टेंट सामग्री पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई।

जनगणना में ढिलाई नहीं चलेगी, कलेक्टर ने संभाला मैदान

- नामली में कलेक्टर मिशा सिंह का औचक निरीक्षण
- घर-घर चल रहे गणना कार्य का लिया जायजा

नवभारत न्यूज

नामली। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य निदेशालय के निर्देशानुसार जनगणना 2027 के तहत जिले में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान को समयसीमा में पूरा करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है।

इसी क्रम में कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी मिशा सिंह ने नामली क्षेत्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर प्रगणकों, सुपरवाइजर्स और फील्ड ट्रेनर्स से चर्चा कर कार्य की प्रगति जानी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रत्येक घर की जानकारी सही और सटीक तरीके से दर्ज हो, ताकि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय बन सकें। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करें और प्रगणकों को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। इस दौरान एसडीएम रतलाम ग्रामीण विवेक सोनकर, तहसीलदार आशीष उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

आंकड़े विश्वसनीय हो : कलेक्टर

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने प्रगणकों, सुपरवाइजर्स और फील्ड ट्रेनर्स से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक घर की जानकारी सही और सटीक तरीके से दर्ज हो, ताकि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय बन सकें। इस दौरान उन्होंने नगर में दुकानों पर भी पहुंचकर जानकारी ली।

एक नजर में

नरवाई बचाओ-खाद बनाओ कार्यक्रम चलेगा

रतलाम। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आर के सिंह ने बताया कि नरवाई (पराली) अवशेष जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। कीमती भूसे की हानि होती है। हमारे मित्र कीट केंचुआ, सांप सूक्ष्म जीव आदि आग में नष्ट हो जाते है। मिट्टी की संरचना खराब हो जाती है, जिससे भूमि की जल धारण क्षमता कम होकर जुताई में अधिक उर्जा की खपत होती है। पर्यावरण दूषित होता है तथा धरती का तापमान बढ़ता है। कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। नरवाई जलाने से जन-धन तथा जंगलों के नष्ट होने की संभावना होती है नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान से बचे, किसान भाई नरवाई में आग न लगायें। वर्तमान में गेंहू की खेती यंत्रीकरण का उपयोग बढ़ने से गेंहू की कटाई कम्बाइन, हार्वेस्टर, ट्रेक्टर द्वारा आसानी से समय पर की जा रही है, किन्तु उससे गेंहू डंठल में याने नरवाई एवं भूसा खेत में छोड़ दिये जाता है जिसको किसान भाई कचरा समझ कर आग से जला देते है। गेंहू की नरवाई में आग लगने से सिर्फ नरवाई ही नही जलती उसमें जमीन के अन्दर उपस्थित सभी सुक्ष्म जीव तापक्रम बढ़ने से समाप्त हो जाते है। परिणाम स्वरूप जली हुई भूमि मृतावस्था में परिणित हो जाती है जिसको सजीव होने में कई वर्ष लग जाते है नरवाई जलाना न केवल किसान के लिए हानीकारक है अपितु प्रकृति, पर्यावरण, भूमि का भी प्रदुषण होता है। खेतो, में आग लगाने से प्रत्येक रूप से बड़ा नुकसान होता है। किसान भाइयों से अपिल है कि खेतो में नरवाई बिल्कुल नही जलायें तथा विभिन्न रूप से नरवाई का उपयोग खाद बनाने में - भूसा बनाने में उपयोग करें। जिला कन्ट्रोल रूम के प्रभारी सहायक संचालक कृषि भीका वास्के एवं सह प्रभारी सहायक कृषि अभियांत्रिकी विजय मीना से कंट्रोल रूम नंबर 07412- 299061 पर चर्चा कर सकते है।

रतलाम डाकघर में विशेष आधार महाअभियान 9 को

रतलाम। भारतीय डाक विभाग रतलाम संभाग द्वारा आम जनता को आधार संबंधी सेवाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 9 मई को विशेष आधार महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके ज़रिए नागरिक अपने आधार कार्ड में नया नामांकन और अपडेशन आसानी से करवा सकेंगे। यह सुविधा मुख्य डाकघर आलोट, जावरा, कालूखेड़ा, नामली, सैलाना, शिवपुर, रतलाम के कलेक्टोरेट, प्रधान डाकघर पर उपलब्ध रहेगी। इस अभियान के दौरान सभी सामान्य आधार केन्द्रों का संचालन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। भारतीय डाक विभाग रतलाम डाक संभाग के अधीक्षक द्वारा सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।

आम आदमी पार्टी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

रतलाम। आम आदमी पार्टी ने गैस सिलेंडर के दामों में अत्यधिक मूल्य वृद्धि के खिलाफ रतलाम जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के अंतर्गत रतलाम में शहीद चौराहे पर दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संयम शर्मा ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 993 की वृद्धि करके आम जनता की जेबों पर बोझ डाला है, इसके साथ ही दुकानदारों-व्यापारियों को खाद्य सामग्री विक्रय करने एवं अपना व्यापार करने में मुश्किलें बढ़ाई है। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार से मांग करती है कि गैस सिलेंडर के बढ़ाए गए दामों को कम कर आम जनता एवं व्यापारियों को राहत दी जाए। उक्त विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संयम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मुशीर अहमद, जिलाध्यक्ष अजा प्रकोष्ठ मनमोहन बौरासी, जिलाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ राधेश्याम मेहता, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जाकिर हुसैन, जिला संयुक सचिव लालू चारेल एवं कर्मठ कार्यकर्ता राम भरोसे जी आदि पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। यह जानकारी जोन मीडिया प्रभारी प्रकाश दोसावत ने दी।

रतलाम में लोक सेवा केन्द्रों पर मिल रही हैं राजस्व संबंधी विभिन्न सेवाएं

रतलाम। अधीक्षक भू अभिलेख अखिलेश मालवीय ने बताया कि लोकसेवा केन्द्र में भूमि का सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, रास्ता विवाद, भूमि बंटन, नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर देना, चालू खसरा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, अविवादित बंटवारा करना, जिला स्तरीय रिकार्ड रूम से पारित आदेश/अंतरिम आदेश आदि की सत्य प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि(खाते के समस्त), अविवादित नामान्तरण करना, अभिलेखागार प्रतिलिपि, राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रतिलिपि, आरसीएमएस-धारणाधिकार, भूमि का बटवारा, वृक्ष काटने की अनुमति, गैर खाते की भूमि पर वृक्ष लगाने की अनुमति, बन्दोबस्त सम्बन्धी मामले, बन्दोबस्त अभिलेख में सुधार, नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र, तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम से पारित आदेश/अंतरिम आदेश आदि की सत्यप्रतिलिपि, तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम से भू-अभिलेखों/राजस्व प्रकरणों/नक्शों आदि की सत्य प्रतिलिपि, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रतिलिपि आदि सेवाएं लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से दी जाती है, उक्त के संबंध में नागरिक अपने क्षेत्र के नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आवेदन दर्ज करा सकते है।

घटिया सड़क पर सियासी हलचल, मंत्री की पहल से खुलेंगे निर्माण के राज!

- जावरा फाटक-सेजावता फंटा फोरलेन की गुणवत्ता की होगी जांच
- 5 दिन में रिपोर्ट देगी उच्च स्तरीय समिति

नवभारत न्यूज

रतलाम। जावरा फाटक अंडर ब्रिज से सेजावता फंटा तक बनाए गए 4.12 किलोमीटर लंबे सीमेंट कांक्रीट फोरलेन सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच अब लोक निर्माण विभाग द्वारा कराई जाएगी। स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप को सड़क निर्माण में अनियमितता और घटिया गुणवत्ता की जानकारी मिलने पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता से चर्चा कर जांच के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह को भी स्थिति से अवगत कराया, जिस पर मंत्री सिंह ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया।

विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। समिति के अध्यक्ष के रूप में एस.आर. गोरखेड़े, प्रभारी मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग इंदौर परिक्षेत्र को नियुक्त किया गया है। वहीं, मयंक शुक्ला (प्रभारी अधीक्षण यंत्री, भोपाल परिक्षेत्र) और गणेश प्रसाद पटेल (अधीक्षण यंत्री, उज्जैन मंडल) को सदस्य बनाया गया है।

समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह पांच दिनों के भीतर फोरलेन सीसी सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

हरिद्वार-ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 26 जून से

रतलाम। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हरिद्वार-ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 26 जून 2026 को रवाना होगी, जो 29 जून को वापस लौटेगी। इस यात्रा के लिए जिले को कुल 196 सीटों का आवंटन किया गया है। यात्रा विशेष ट्रेन के माध्यम से रतलाम रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी और वापसी भी यहीं होगी। यात्रा में शामिल होने के इच्छुक नागरिकों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन जिले के सभी तहसील कार्यालयों, जनपद कार्यालयों एवं नगर निगम रतलाम में जमा किए जा सकते है। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने जिले के वरिष्ठ नागरिकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया है।

तहसीलदार ने बाजना उपमंडी स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज

सैलाना/बाजना। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर मिशा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में उपार्जन केन्द्रो पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन किया जा रहा है।

बुधवार को बाजना क्षेत्र में तहसीलदार मनीष जैन ने बाजना उपमंडी स्थित गेहूं उपार्जन केन्द्रो का निरीक्षण किया। इस दौरान तौल कांटों का सत्यापन किया। किसानों से संवाद कर उपार्जन प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाओं एवं केंद्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

सफाई निरीक्षण में 24 सफाईकर्मी नदारद, नोटिस जारी, अभद्रता पर कर्मचारी बर्खास्त

रतलाम। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अभियान के तहत नगर निगम आयुक्त अनिल भाना ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के अनुपस्थित मिले 24 सफाई संरक्षकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए एक दिन का वेतन काटा गया।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने नालों की सफाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा डंकाला रोड, काजीपुरा और भोई मोहल्ला क्षेत्रों में नालों की सफाई करवाई गई। इसके अलावा इन्द्रलोक नगर सहित वार्ड क्रमांक 17, 18, 23, 34, 35, 36 और 39 में नालियों की सफाई, वार्ड 48 की बैकलेन, वार्ड 14 के शौचालय और वार्ड 11 डोंगरे नगर में सफाई कार्य कराया गया। इसी दौरान वार्ड प्रभारी से अभद्र व्यवहार करने पर वार्ड 42 के सफाई संरक्षक नरेन्द्र-चरण को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। निगम की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर 30 किलो अमानक पॉलीथीन भी जब्त की गई, जिससे प्लास्टिक प्रतिबंध के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। आयुक्त अनिल भाना ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित निगरानी जारी रखी जाएगी।

नेशनल लोक अदालत: 39 खंडपीठें करेंगी मामलों का त्वरित निपटारा

- प्रचार रथ रवाना, समझौता योग्य मामलों में मिलेगी राहत व शुल्क में छूट

नवभारत न्यूज

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 मई को जिला न्यायालय रतलाम सहित तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना और आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे करेंगी।

जिला विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी ने बताया कि लोक अदालत में लंबित समझौता योग्य सिविल, आपराधिक, श्रम, उपभोक्ता विवाद, बैंक ऋण वसूली, बीएसएनएल, संपत्तिकर एवं जलकर सहित विभिन्न प्री-लिटिगेशन मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए जिला एवं तहसील स्तर पर कुल 39 खंडपीठों का गठन किया गया है।

प्रचार के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

बुधवार को जिला न्यायालय रतलाम प्रांगण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम रामजी गुप्ता के कुशल नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त प्रचार अभियान में जिला प्राधिकरण की मोबाइल वैन, ई-रिक्शा, विद्युत विभाग एवं नगर निगम के वाहनों द्वारा संपूर्ण रतलाम शहर एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएलव्ही के माध्यम से नेशनल लोक अदालत एवं अन्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सपना भारती कतरोलिया, जिला रजिस्ट्रार एवं न्यायाधीश अनुपम तिवारी, सचिव/न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम नीरज पवैया, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी एवं अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष सुनील जैन एवं लीगल एड डिफेंस काउंसेल सिस्टम के डिप्टी चीफ अनिल शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के समस्त कर्मचारीगण एवं अन्य पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित थे।

लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को जिला न्यायालय परिसर से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस दौरान मोबाइल वैन, ई-रिक्शा और विभिन्न विभागों के वाहन शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर लोगों को लोक अदालत के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जिंगल, नालसा थीम सॉन्ग और विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से भी आमजन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), पारिवारिक विवाद, ट्रैफिक चालान और अन्य समझौता योग्य मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा शुल्क में छूट का लाभ भी मिलेगा। प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते से निराकरण कराएं और समय, धन व विवाद से राहत पाएं।

रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 73 चयनित

रतलाम। जिला प्रशासन, कौशल विकास और रोजगार विभाग एवं जिला रोजगार कार्यालय, मध्य प्रदेश डे ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में युवा संगम अंतर्गत संयुक्त रूप से रोजगार मेला, स्वरोजगार मेला, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एवं मुख्यमंत्री सीखों कमाओं योजनांतर्गत मेलों का आयोजन किया। जिसमे भाग लेने वाली कंपनी माँ चामुंडा इंटरप्राइजेस (सुजलॉन), बदनावर, जिला धार द्वारा निर्धारित मापदंड एवं इंटरव्यू के उपरांत कुल 73 प्रतिभागी प्राथमिक रूप से चयनित हुए। चयनित प्रतिभागियों को संस्था के प्राचार्य यू. पी. अहिरवार द्वारा शुभकामनाएं दी गई। मेले में सम्मिलित होने के लिये कुल 160 आवेदकों द्वारा अपना पंजीयन किया गया। संस्था के प्रशिक्षण अधीक्षक एचकेबाथम द्वारा उपस्थित युवक युवतियों को आत्म निर्भर होने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। आभार संस्था के टीपीओ प्रफुल्ल सोनारकर ने माना।

जावरा बनेगा पत्रकारिता का राष्ट्रीय मंच, 300 पत्रकार आएंगे

नवभारत न्यूज

जावरा। भारतीय राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ (आईएफडब्ल्यूजे) का आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन जावरा में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव ने स्थानीय सर्किट हाउस में जिले के पत्रकारों की बैठक लेकर आयोजन की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की।

बैठक को संबोधित करते हुए भार्गव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ देश का सबसे बड़ा पंजीकृत ट्रेड यूनियन संगठन है, जो पत्रकारों के हितों और अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। उन्होंने पत्रकारों को शासन स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी और उनकी समस्याओं को शासन तक पहुंचाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि महासंघ की स्थापना 28 अक्टूबर 1950 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुई थी, जबकि वर्ष 1974 में इसका पंजीयन कराया गया। वर्तमान में संगठन के देशभर में 30 हजार से अधिक सदस्य हैं और 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 17 भाषाओं के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संवाद समितियों व टीवी चैनलों से जुड़े पत्रकार इससे संबद्ध हैं।

राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि जावरा में होने वाला यह तीन दिवसीय आयोजन ऐतिहासिक होगा, जिसमें देश के लगभग 10 राज्यों से 300 से अधिक पत्रकार भाग लेंगे। इसके अलावा प्रदेशभर के पत्रकार भी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के पहले दिन पत्रकारों का पंजीयन किया जाएगा। दूसरे दिन पत्रकारों की समस्याओं, चुनौतियों और मीडिया के बदलते स्वरूप पर विचार-विमर्श होगा, जबकि तीसरे दिन वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान कर सम्मेलन का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार सुजानमल को चट्टा के स्वागत उद्बोधन से हुई। संचालन अशोक चोपड़ा ने किया, जबकि आभार अशोक सेठिया ने माना। बैठक में सुजानमल को चट्टा, अशोक सेठिया, पारस छाजेड़, अशोक चोपड़ा, शैलेंद्र सिंह चौहान, बद्रीलाल चौहान, लखन पवार, नारायण सिंह चंद्रावत, नितिन कटारिया, राजकुमार पीपाड़ा, सुनील असवारे, जय छाजेड़ सहित अन्य मौजूद रहे। परिचय पत्र पहनाकर सम्मानित किया गया।

एक नजर में

इंटेक प्रतिनिधिमंडल ने दिखाई खतरनाक तस्वीरें, मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा संभव

जर्जर हालत में पहुंचा रतलाम का राजमहल, संरक्षण की मांग

नवभारत न्यूज

रतलाम। शहर की ऐतिहासिक धरोहर राजमहल इन दिनों गंभीर जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। इंडो-यूरोपियन वास्तुशिल्प की यह अद्भुत इमारत अब लावारिस स्थिति की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जिससे इसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। इसके संरक्षण और मरम्मत की मांग को लेकर इंटेक सब चैप्टर के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश मिशा सिंह से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया।

प्रतिनिधिमंडल में कन्वीनर अनिल झालानी, संरक्षण विशेषज्ञ विजय सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र श्रेष्ठ एवं मीडिया कर्मी शाहिद मीर शामिल थे। उन्होंने राजमहल के जर्जर हिस्सों के फोटो कलेक्टर को दिखाते हुए बताया कि इमारत की नींव के नीचे खोखलापन बढ़ता जा रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।

उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते मरम्मत और संरक्षण का कार्य शुरू नहीं किया गया, तो करीब 100 फीट ऊंची यह ऐतिहासिक इमारत किसी भी दिन ढह सकती है। ऐसे में प्रशासन को तत्काल कार्ययोजना बनाकर इस धरोहर को बचाने के प्रयास शुरू करना चाहिए।

कलेक्टर मिश्रा सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही राजमहल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगी। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि प्रशासन आमजन की भावनाओं को समझते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि महल के संरक्षण और रखरखाव के किसी भी अभियान में शहरवासी प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे, ताकि रतलाम की इस ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखा जा सके।